न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्या: 129/2021/अपील/पैरोल/झालावाड
दायरा दिनांक 7.12.2021
किस्म अपील: राज0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 2021 के नियम–18

उनवान

बालचंद आ0 हीरालाल तंवर हाल बंदी सेन्ट्रल जेल बीकानेर जरिये पुत्र रवि तंवर पुत्र बालचंद जाति तंवर निवासी वार्ड नंम्बर 17 ज्योति नगर कॉलोनी बकानी जिला झालावाड (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री राजीव कुमार ओझा अभिभाषक अपीलार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 8.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राज0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 2021 के नियम–18 अन्तर्गत अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड द्वारा प्रार्थना पत्र बावत पैरोल मे पारित आदेश क्रमांक/आपात पैरोल/न्याय/2021/6571 दिनांक 30.11.2021 (संक्षिप्त मे अपीलाधीन आदेश) के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि दण्डित बंदी बालचंद पुत्र हीरालाल तंवर नि0 कुशलपुरा हाल बकानी वर्तमान मे बंदी केन्द्रीय कारागृह बीकानेर की ओर से जरिये पुत्र रवि तंवर पुत्र बालचंद तंवर ने स्वयं के आयोजित विवाह दिनांक 11.12.2021 को वैवाहिक कार्यक्रम को सम्पन्न कराने हेतु आपात पैरोल चाहने बावत प्रार्थना पत्र अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड के यहां पेश किया गया जिसे आदेश क्रमांक/आपात पैरोल/न्याय/2021/6571 दिनांक 30.11.2021 से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर वर्णित किया कि अपीलार्थी के पिता बालचंद तंवर पुत्र हीरालाल जाति तंवर निवासी बकानी जिला झालावाड राज0 जो वर्तमान मे बीकानेर सेन्ट्रल जेल मे भा.द.स. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे है अपीलार्थी उनका पुत्र है तथा अपीलार्थी का विवाह दिनांक 11.12.2021 को होना निश्चित हुआ है, किन्तु पिता की अनुपस्थिति के कारण विवाह कार्यक्रम सही प्रकार से सम्पन्न नही हो पा रहे है अपीलार्थी बैरोजगार है विवाह का खर्चा भी वहन नही कर पा रहा है क्योंकि अपीलार्थी के परिवार मे पिताजी बालचंद के अलावा कोई बडा व्यक्ति मौजूद नही है अपीलार्थी के भाई वहिन छोटे है व पढाई कर रहे है। विवाह की समस्त जिम्मेदारियां व व्यवस्थाऐं करने का दायित्व पिताजी पर ही है उनके अभाव मे विवाह सस्कांर बाधित हो रहे है अतः पिताजी का होना आवश्यक है। अपीलार्थी के पिता बालचंद का पैरोल प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2021 को अस्वीकार कर निरस्त कर दिया गया है जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

है। पैरोल अवधि मे न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो की पूर्ण पालना कर समयावधि मे पुनः जेल मे सरेण्डर हो जायेगे। चल व अचल सम्पत्ति बकानी मे स्थित है बंदी के कही भागने, फरार होने या शांति भंग करने का कोई अंदेशा नही है। अतः पैरोल अपील पेश कर अपीलार्थी के पिता बंदी बालचंद तंवर को दिनांक 6.12.2021 से 24.12.2021 तक 15 दिवस की आपात पैरोल पर रिहा करने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड की पत्रावली तलब की गई तथा प्रकरण मे कार्यवाहक सहा0 निदेशक अभियोजन, कोटा एंव अभियोजन अधिकारी न्यायालय एसीजेएम–7 कोटा को आहूत कर विधिक राय ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण मे बहस विद्वान अभि0 अपीलार्थी सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बंदी बालचंद तंवर को पुत्र रवि तंवर के आयोजित विवाह दिनांक 11.12.2021 को सम्पन्न कराने हेतु आपात पैरोल स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

4 हमने अपील एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात शादी का कार्ड, स्वयं अपीलार्थी रवि तंवर के आधार कार्ड की छाया प्रति, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. क्रिमी. रिट पीटिशन नम्बर 394/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 22.1.2021 की छाया प्रति, अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर का पैरोल के संबध मे अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड को प्रेषित पत्र क्रमांक 20154 दिनाक 11.11.2021 की छाया प्रति, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 8298 दिनांक 18.11.2021, सरंपच ग्राम पंचायत बकानी के प्रमाण पत्र की छाया प्रति एंव पुलिस अधीक्षक झालावाड के पत्र क्रमांक 46603–04 दिनांक 18.11.2021 की छाया प्रतियां तथा प्रकरण मे कार्यवाहक सहा0 निदेशक अभियोजन, कोटा एंव अभियोजन अधिकारी की विधिक राय तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि, बंदी बालचंद तंवर की आपात पैरोल बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड द्वारा पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट से सहमत होते हुये एंव अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर द्वारा अभिमत प्रकट नही किये जाने के कारण निरस्त किया गया है। जबकि पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 मे स्पष्ट वर्णित किया है कि बंदी बालचंद प्रकरण संख्या 173/2003 अन्तर्गत धारा 147, 148, 302/149 भा0द0स0 में सेन्ट्रल जेल बीकानेर में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। दण्डित बंदी दिनांक 31.10.2007 से दिनांक 19.11.2007 तक प्रथम 20 दिवसीय नियमित पैरोल पर आया था। पैरोल से दण्डित बंदी जेल दाखिल नही होकर फरार हो गया। फरारी के दौरान बंदी के विरूद्व प्रकरण संख्या 163/2007 अन्तर्गत धारा 302 भा.द.स. में दर्ज हुआ था जिसमे बंदी को माननीय न्यायालय एनडीपीएस झालावाड द्वारा दोषमुक्त किया गया है। इसी प्रकार परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड द्वारा बंदी को नियमानुसार आपात पैरोल पर रिहा किये जाने की अनुशंषा की गई हैयहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. क्रिमी. रिट पीटिशन नम्बर 394/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 22.1.2021 के अनुसार बंदी बालचंद को 7 दिवसीय पैरोल स्वयं का निजी मुचलका 1 लाख रू0 तथा दो समर्थ व्यक्तियो की प्रत्येक 50–50 हजार की जमानत पेश करने की शर्त एवं अन्य उपयुक्त शर्त एवं कण्डीशन तथा बंदी के समयावधि में वापिस लौटने की सुंनिश्चितता की संतुष्टि के आधार पर पैरोल पर रिहा करने के आदेश अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर को दिये गये। तथा सरंपच ग्राम पंचायत बकानी ने भी प्रमाण पत्र दिनांक 8.11.2021 में बंदी बालचंद के पैरोल पर आने पर किसी प्रकार की अशांति की आशंका नही होना अंकित करते हुए बंदी पूर्व में भी 7 दिवस की पैरोल काट कर जा चुका होना वर्णित किया है। अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मजिस्ट्रेट झालावाड द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही कर आपात पैरोल प्रार्थना पत्र को निरस्त करने मे त्रुटि किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उपरोक्त विवेचित रिट याचिका अनुसार 7 दिवस की पैरोल दी गई थी इसके पश्चात बंदी बालचंद तंवर के आचरण के संबध मे किसी प्रकार के विपरीत तथ्य पत्रावली मे उपलब्ध नही है। अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 11.11.2021 में राज0 पैरोल रूल्स 2021 के नियम 11(1)(4) के अनुसार बंदी के पुत्र के विवाह की पुष्टि होने पर अधिकतम 15 दिवस की पैरोल दिये जाने का प्रावधान होना वर्णित किया है। कार्यवाहक सहा0 निदेशक अभियोजन, कोटा एंव अभियोजन अधिकारी एसीजेएम 7 कोटा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत विधिक राय अनुसार राज0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 2021 के प्रावधान नियम 11 के अन्तर्गत कैदी के पुत्र के विवाह के आधार पर अर्जेन्ट मामलो में पैरोल पर छोडे जाने का प्रावधान होना वर्णित करते हुये मामले के तथ्य के आधार पर कैदी के आचरण बाबत् जैल अधीक्षक की रिपोर्ट, पैरोल कमेटी की रिपोर्ट में कैदी का व्यवहार, आचरण संतोष जनक एवं अच्छा पाये जाने पर पैरोल अधिनियमो के प्रावधानुसार नियमानुसार सशर्त कैदी को पैरोल पर छोडा जाना उचित होना अंकित किया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एवं जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना बंदी बालचंद का आपात पैरोल प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/आपात पैरोल/न्याय/2021/6571 दिनांक 30.11.2021 अपास्त किया जाता है। बंदी बालचंद पुत्र हीरालाल जाति तंवर निवासी कुशलपुरा हाल बकानी वर्तमान मे बंदी केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को 7 दिवस की आपात पैरोल राज0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 2021 के प्रावधान नियम 11 के अनुसार निम्न शर्तो के साथ सहमति प्रदान की जाती है कि:–

(1) बदी बालचंद राशि 100000/–रू0 का निजी मुचलका प्रस्तुत करेगा।

(2) दो समर्थ व्यक्तियो की प्रत्येक राशि 100000–100000/–रू0 की जमानत जिसमे से एक व्यक्ति ग्राम पंचायत बकानी का सरंपच होगा एवं अन्य व्यक्ति गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है।

(3) अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर बंदी के पूर्व मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्वीकृत 7 दिवसीय पैरोल के दौरान उपयुक्त आचरण व किसी प्रतिकूल सूचना के नही होने की स्थिति मे बंदी के वर्तमान मे पैरोल दिये जाने पर समयावधि मे वापस लौटने की सुनिश्चितता करने हेतु अन्य उपयुक्त शर्ते लागू कर सकेगें।

(4) 7 दिवस की अवधि बंदी को वास्तविक रूप से जेल से मुक्त करने की दिनांक से प्रारंभ होगी।

निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के साथ–साथ अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल समिति एंव जिला कलक्टर व जिला मजि0 झालावाड तथा पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड को प्रेषित की जावे।

5 निर्णय आज दिनांक 8.12..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

8/12/21

(कैलाश चन्द्र मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा